अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

पीठासीन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. रणधीर सिंह राठौड पुत्र श्री देवी सिंह
2. श्रीमती सुशीला कंवर पत्नी श्री रणधीर सिंह राठौड

निवासी बी– 93, विनोभा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणधीर सिंह राठौड
3. श्रीमती निरूपमा तंवर पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह
4. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री रणधीर सिंह
5. श्रीमती मोनू कुमारी पत्नी श्री रविन्द्र सिंह

निवासी बी– 93, विनोभा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 29.03.2023 उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण प्रकरण संख्या 18/2023 ब उनवानी रणधीर सिंह व अन्य बनाम वीरेन्द्र सिंह व अन्य।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

पस्थितः–

1. अपीलार्थी संख्या 1 उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 13.07.2023.

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 18/2023 ब उनवानी रणधीर सिंह व अन्य बनाम वीरेन्द्र सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.03.2023 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

बहस अपीलार्थी की सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी भारतीय सेना से सेवा निवृत्त वरिष्ठ नागरिक है जो अपने जीवन भर की कमाई लगाकर उक्त आशियाना स्व अर्जित आय से खरीद कर बनाया था जिसमें किसी अन्य प्रत्यर्थीगण का एक रूपया भी नहीं लगा हुआ है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थी अब अपने जीवन के अन्तिम पडाव पर एवं बडी मुश्किल से अपना गुजरा बसर एक दूसरे की मदद से करते है परन्तु प्रत्यर्थीगण जो ना तो अपीलार्थीगण की देखभाल करते है तथा ना ही उनको किसी भी प्रकार का सहयोग आदि ही करते है वरन वृद्धावस्था में उनसे आये दिन सुबह शाम लडाई झगड़ा करते है । यहां तक घर से बेदखल करने की धमकी देते है जबकि उनका उक्त घर व सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। इसके बावजूद अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त मकान में अलग अलग दिवार बना कर एक तरह से बंटवारा करने का आदेश पारित किया है जो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है आलौच्य आदेश प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसी कोई रिलीफ की मांग नही की थी, कि उनके मकानात का बंटवारा किया जावे। अपीलार्थी ने केवल मात्र प्रत्यर्थीगण के द्वारा किये जरा रहे दुव्यवहार एवं प्रताडना से व्यथित हो कर अपने स्वामित्व की सम्पत्ति से उन्ही बेदखल करने का अनुतोष चाहा था, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने सुस्थापित कानूनी प्रावधानों के विपरीत जा कर प्रत्यर्थीगण को बेदखल करने का आदेश पारित करने के स्थान पर निम्न आदेश पारित कर दिया – " न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण जिस उक्त पते पर वर्तमान में निवास कर रहे है वहां प्रार्थीगण का परिवार मकान के द्वितीय तल पर निवास कर रहा है जिसका रास्ता अलग अलग है, पर एक दीवार इस तरह बनाई जावे की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 3 तीनों परिवारों का सम्पर्क किसी भी तरह से स्थापित नहीं हो सके। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीगण से किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार गाली गलौच एवं लडाई झगडा नहीं करें अप्रार्थी संख्या 4 को यदि अपने पिता से मिलना है तो वे अन्यत्र किसी भी स्थान पर मिलने हेतु स्वतंत्र होगे। थानाधिकारी पुलिस थाना वैशाली नगर जयपुर को आदेश की प्रति दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करे। आदेश सुनाया गया।" इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण से प्रत्यर्थीगण को चिरस्थाई रूप से उक्त स्थान पर स्थापित करने का आदेश प्रदान किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 अपीलार्थी के पुत्र है तथा 2 व 4 पुत्रवधु है जो बालिग है तथा अपना भरण पोषण करने में पूर्णतया से सक्षम है तथा भलीभांति रोजगार कर रहे है । यहां तक की पुत्रवधुयें भी रोजगार कर रही है। प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थीगण की देखभाल करनी चाहिये, परन्तु वे उन्हें प्रताडित करते है, उन्हें अपमानित करते है एवं सामाजिक रूप से उपेक्षित करते है जिसका उन्हें कतई अधिकार नहीं है उनके आचरण से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने उनको बेदखल करने व उनकी प्रताडना से बचने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने बिना किसी आधार पर आलौच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 290.3.2023 को अपास्त किया जाकर प्लाट नम्बर बी–93, विनोभा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर से प्रत्यर्थीगण को बेदखल करने के आदेश प्रदान करें एवं खाली परिसर का कब्जा अपीलार्थीगण को दिलवाया जावे। प्रत्यर्थीगण को यह भी निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थीगण को अपना जीवन सुख शान्ति से व्यतीत करने देवें साथ ही प्रत्यर्थीगण को पाबन्द करवाया जावे कि वे अपीलर्थीगण के साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, लडाई–झगडा, मारपीट, हिंसा, अपमानित, प्रताड़ित आदि नहीं करें। प्रत्यर्थीगण से अपीलार्थीगण को भरण पोषण चिकित्सा आदि बाबत राशि दिये जाने के भी आदेश प्रदान करे।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

5. अपीलार्थी की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

6. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अपनी स्व अर्जित सम्पत्ति प्लाट नम्बर बी–90, बिनोभा भावे नगर वैशाली नगर जयपुर पर काबिज प्रत्यर्थी 1, 2, 3 व 4 से खाली करा कर कब्जा दिलाने का अनुतोष चाहा है। जिस पर अधीनस्थ अधिकरण ने आदेश दिया है कि " प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण जिस उक्त पते पर वर्तमान में निवास कर रहे है वहां प्रार्थीगण मकान के प्रथम तल पर रह रहे है तथा अप्रार्थीग संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 3 का परिवार मकान के द्वितीय तल पर निवास कर रहा है जिसका रास्ता अलग–अलग है, पर एक दीवार इस तरह बनाई जावे की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 3 तीनों परिवारों का सम्पर्क किसी भी तरह से स्थापित नहीं हो सके। " अधिनियम की मन्शा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा किया जाना है। वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति का इस तरह बंटवारा किये जाने के आदेश करने का अधीनस्थ अधिकरण को अधिकार नही है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 (1) इस प्रकार है–Section 23. Transfer of property to be void in certain circumstances– (1) Where any senior citizen who, after the commencement of this Act, has transferred by way of gift or otherwise, his property, subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transfer and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under undue influence and shall at the option of the transfer or be declared void by the tribunal.

इस प्रकार अधिनियम की धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जावेगा। धारा 23 में दान द्वारा या अन्यथा (Otherwise) सम्पत्ति का अन्तरण किया जाना शामिल है। जिसमें लिखित व मौखिक अन्तरण भी हो सकता है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 23 के तहत बेदखली का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बध में समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नगारिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। इस मामले में अपीलार्थी के जीवन व उसकी सम्पति की सुरक्षा के लिए अपीलार्थी की सम्पत्ति से प्रत्यर्थीगण की बेदखली के बिन्दु पर उभयपक्ष को पुनः सुन कर मामले का निस्तारण करना उचित समझते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के अपीलाधीन आदेश 29.03.2023 को अपास्त किया जाता है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित जाता है कि अपीलार्थी के जीवन व उसकी सम्पति की

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

सुरक्षा के लिए प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी के मकान से बेदखली के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर